जिला योजना
संख्याः 15 /I/2004-03-1(1)/3/04

प्रेषक

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार, उधमसिंहनगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर,
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभाग

देहरादूनः दिनांकः ३०, मार्च, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में IREP कार्यक्रम हेतु आयोजनागत में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उरेडा के पत्र संख्या 3074/उरेडा/बजट/आईआरईपी/04–05 दिनांक 14.03.2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 811/I/2004-03-1/3/04, दिनांकः 11.03.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनागत में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (IREP) के लिये संलग्न बी0एम0 15 के अनुसार संगत मद से रु0 12,83,000/– एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 3,11,000/– कुल रु0 15,94,000/– (रू0 पन्द्रह लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि की योजनावार/जिलावार फांट निदेशक, उरेडा द्वारा करते हुये सम्बन्धित जिलों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय IREP कार्यो के लिये ही किया जायेगा तथा जिला योजना से सम्बन्धित व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर उनके लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। साथ ही उरेडा द्वारा भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्रांक F No 47/30/2003–IREP दिनांक 17–1–2005,में इंगित शर्तो का पूर्ण रुपेण पालन किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के बिल उरेडा के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करके धनराशि का आहरण किया जायेगा। मुख्यालय से सम्बन्धित धनराशि का आहरण वित्त एवं लेखाधिकारी, उरेडा द्वारा तैयार कर बिल पर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट मैनुअल और फाईनेन्सियल हैण्डबुक के सुसंगत नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त की जायेगी। साथ ही योजनाओं पर वित्तीय/प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला योजना में स्पेशल कम्पोनेन्ट/ट्राईबल सब–प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत परिव्यय/चिन्हित लक्ष्यों की सीमा तक उक्त स्वीकृत धनराशि से व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना के सापेक्ष किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर किया जायेगा।

.....2

7– उरेडा द्वारा कार्यक्रम/योजना के अधीन कार्यो का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं अन्य वांछित सूचनायें, त्रैमासिक रूप से नियमित भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग एवं शासन को प्रेषित की जायेंगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दिनांक 31.03.2005 को प्रेषित किया जायेगा।

8– उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार से राज्य सरकार को शीघ्रतिशीघ्र प्रेषित कर द्वितीय किश्त भी शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–19 के लेखाशीर्षक–2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–04–एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम–105 –परियोजनाओं का कियान्वयन–91–उरेडा को एकीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 1921/वि0अनु0–2/04, दिनांक 30 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 15 /I/2004-03-1(1)/3/04,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु/निजी सचिव, राज्य मंत्री को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।
3– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
4– सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार (द्वारा निदेशक, उरेडा)
5– कोषाधिकारी, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरांचल।
6– निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा, देहरादून।
7– समस्त परियोजना अधिकारी, उरेडा, उत्तरांचल ।
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
11– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12– विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

बी0एम0-15

पुनर्विनियोग 2004-2005 आयोजनागत अनुदान सं0-19

नियन्त्रक अधिकारी-सचिव-ऊर्जा विभाग

(रु0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार आद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2501- ग्राम विकास हेतु विशेष योजनायें 04- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम 101- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा संबंधी क्षेत्रवत खण्ड स्तर की परियोजनाओं के डिजाइन और कार्य प्रणाली का विकास 03- डिजाइन और कार्य प्रणाली के विकास हेतु उरेडा को अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5850	4308	1231	311(क)	2501- ग्राम विकास हेतु विशेष कार्यक्रम 04- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम 105- परियोजनाओं का क्रियान्वयन 91- उरेडा के लिये एकीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना) 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 311(ख)	13311	4308	(क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) आवश्यकता अधिक व बजट प्राविधान कम होने के कारण।
योग- 5850	4308	1231	311	311	13311	4308	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद- 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या /वि0अनु-2/2004
देहरादून: दिनांक मार्च, 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत

एल.एम. पन्त
अपर सचिव

संख्या: 15 /1/2005-03-01(01)/03/04, दिनांक 30 मार्च, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

2- वित्त अनुभाग-2

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव